an>

Title: Need to include Chhattisgarhi language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) ः छत्तीसगढ़ी भाषा, समृद्ध शब्दकोष और प्रचुर साहित्य वाली छत्तसीगढ़ राज्य की अधिकारिक राजभाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में कविताएँ, नाटक, निबंध, शोध ग्रन्थ आदि सब कुछ लिखे गये हैं। 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण, श्री हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखा गया जिसका अंग्रेजी अनुवाद "Journal of Asiatic Society of Bengal" 1890 में प्रकाशित हुआ। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रशासनिक शब्दकोष प्रकाशित किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि देवनागरी है। छत्तीसगढ़ी को बोलने और समझने वालों की संख्या आठवीं अनुसूची में शामिल कई भाषाओं को बोलने वालों से ज्यादा है। कई राज्यों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ से कम है लेकिन उनकी भाषाएँ आठवीं अनुसूची में शामिल हैं जैसे केरल (मलयालम), गोवा (कोंकणी), मणिपुर (मणिपुरी) आदि। छत्तीसगढ़ी की महता केवल आंचलिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक अत्यंत प्राचीन संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में भी छत्तीसगढ़ी के शब्द मिलते हैं जैसे बालकाण्ड में माखी, सोवत, जरहि, बिहार किष्किन्धाकाण्ड में पखवारा, लराई, वर्षा सुन्दरकाण्ड में सोरह, आगी, मंदुरी आदि। वर्तमान में भी बहुत से शब्द छत्तीसगढ़ी और हिन्दी भाषा के सामान रूप से उपयोग किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से निश्चित तौर पर हिन्दी भाषा और समृद्ध होगी और उसके विकास में सहयोग मिलेगा। देश के साहित्यिक विकास के साथ ही संस्कृति के संरक्षण में छत्तीसगढ़ी भाषा का असाधारण योगदान है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी जो लगभग पूरे राज्य में बोली और समझी जाती है, को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर उचित सम्मान दिया जाए।